फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम –जहाजपुर (भीलवाडा)

नरेन्द्र कुमार पिता मानमल जाति डाणी आयु बालिग निवासी जहाजपुर तहसील जहाजपुर जिला– शाहपुरा राज.

बनाम

श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील जहाजपुर

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 506 /2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
13.05.2024	प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम बदनपुरा पटवार हल्का जसवन्तपुरा तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा की आराजी नम्बर 6610/6087 रकबा 0.2671 हैंक्टेयर , 6636/6087 रकबा 0.2185 हैंक्टेयर स्थित है। अप्रार्थी उक्त वर्णित कृर्षि आराजी के पडोसी हैं । अप्रार्थी से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता हैं , अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है। मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलगन नकल जमाबन्दी सम्वत **2075 से 2078** तक के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार हैं प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के साथ सीमा विवाद होना बताया हैं । अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता हैं । अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है ग्राम बदनपुरा पटवार हल्का जसवन्तपुरा तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा की आराजी नम्बर 6610/6087 रकबा 0.2671 हैंक्टेयर , 6636/6087 रकबा 0.2185 हैंक्टेयर की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक पण्डेर को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिशनर फीस 500 रू. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रू. राजकोष में जमा करावे। **पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नही किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। तहसीलदार जहाजपुर को नायब तहसीलदार को जरिये नोटिस/समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं** । पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे। आदेश आज दिनांक 13.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर(भीलवाडा)	

Scanned with CamScanner

राजस्थान–सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

कमांक / रीडर / 2024 / 38 /

दिनांक :– [illegible].05.2024

निमित्त–

तहसीलदार जहाजपुर ।

विषय :– प्र. स. 38/24 अनवान नरेन्द्र कुमार पिता मानमल जाति डाणी निवासी जहाजपुर बनाम श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा राजस्थान की पत्थरगढी की पालना करने बाबत् ।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम बदनपुरा पटवार हल्का जसवन्तपुरा तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा की आराजी नम्बर 6610 / 6087 रकबा 0.2671 हैक्टेयर , 6636 / 6087 रकबा 0.2185 हैक्टेयर भुमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख-निरीक्षक पण्डेर को कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रू. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोष में जमा करावे । पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नही किया जावें। तहसीलदार जहाजपुर को नायब तहसीलदार को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं । पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)

Scanned with CamScanner